बिहार कर्मचारी चयन आयोग,

पो0—वेटनरी कॉलेज, पटना—14

बिहार राज्य के अन्तर्गत चालक के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन

विज्ञापन संख्या—13010116 **पदः—वाहन चालक**

माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा एम0जे0सी0 सं0—3375/2013 सुशील कुमार राय बनाम बिहार राज्य एवं अन्य एवं अन्य सदृश वादों में पारित न्यायादेश, विभिन्न जिलों तथा विभागों/कार्यालयों से प्राप्त अधियाचना के अनुरूप वाहन चालक के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य उम्मीदवारों से ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किये जाते है ।

ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन दिनांक—23.06.2016 से 19.07.2016 तक

कुल रिक्तियाँः—466

क्र0 सं0	विभाग/कार्यालय का नाम	कुल रिक्ति	अनु0 जाति	अनु0 जनजाति	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	पिछड़ा वर्ग	पिछड़ा वर्ग महिला	अनारक्षित
1	जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर	34	05	03	07	06	01	12
2	जिला पदाधिकारी, कैमूर	20	03	00	04	02	01	10
3	जिला पदाधिकारी, गोपालगंज	16	02	00	03	02	01	08
4	सामान्य प्रशासन विभाग	233	45	15	43	31	10	89
5	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	05	01	00	01	01	00	02
6	पर्यटन विभाग	05	00	00	02	01	00	02
7	अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण विभाग	08	02	00	01	01	00	04
8	विधि विभाग	05	00	00	01	01	00	03
9	श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग	02	00	00	01	00	00	01
10	ग्रामीण विकास विभाग	03	00	00	01	01	00	01
11	मंत्रिमंडल सचिवालय	03	00	00	01	00	00	02
12	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	05	01	00	00	01	00	03
13	संसदीय कार्य विभाग	03	00	00	01	00	00	02
14	कला संस्कृति एवं युवा विभाग	32	05	01	06	03	01	16
15	खाद्य उपभोक्ता एवं संरक्षण विभाग	02	00	00	00	01	00	01
16	सूचना प्रावैधिकी विभाग	02	01	00	00	00	00	01
17	सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग	40	08	00	11	00	01	20
18	निबंधन उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग	28	07	01	05	04	02	09
19	राजस्व पर्षद विभाग	05	01	00	01	00	00	03
20	मंत्रिमंडल सचिवालय राजभाषा विभाग	01	00	00	00	00	00	01
21	उद्यान निदेशालय	12	02	00	02	01	01	06
22	पथ निर्माण विभाग	02	01	00	00	00	00	01
	कुल रिक्तियाँः—	466	84	20	91	56	18	197

रिक्तियों की संख्या औपबंधिक है जो घट–बढ़ सकती है ।

वेतनमान्–5200–20200, ग्रेड–पे 1900

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताः– मैट्रिक अथवा समकक्ष उत्तीण ।

तकनीकी योग्यताः–

(i) वाहन चलाने का वैद्य लाईसेन्स प्राप्त रहना आवश्यक है ।

(ii) यातायात विनियमन की अच्छी जानकारी रहना आवश्यक होगा ।

(iii) वाहन की सामान्य जानकारी का रहना आवश्यक होगा ।

(iv) उनका स्वस्थ्य रहना आवश्यक होगा ।

उम्र सीमाः–

(1) आयु न्यूनतमः– 18 (अट्ठारह) वर्ष (दिनांक–01.08.2015 के आधार पर) ।
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग की संकल्प संख्या–294, दिनांक–07.01.2016 के अनुसार अधिकतम–(1) अनारक्षित (पुरूष) – 37 वर्ष । (2) पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (पुरूष एवं महिला) – 40 वर्ष । (3) अनारक्षित (महिला) – 40 वर्ष । (4) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (पुरूष एवं महिला) – 42 वर्ष । (सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्याः–212, दिनांकः–23.01.2006 के आलोक में अभ्यर्थियों के अधिकतम उम्र की गणना 01.08.2012 के आधार पर की जाएगी ।

नोटः– बिहार वाहन चालक (भर्त्ती एवं सेवा शर्तें) (संशोधन) नियमावली–2014, सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना–9359, दिनांक–09.07.2014 के कंडिका–(iii) के अनुसार राज्य सरकार के किसी कार्यालय में वाहन चालक के पद पर संविदा के आधार पर विधिवत नियोजित अभ्यर्थियों को नियुक्ति की अधिकतम उम्र सीमा में उक्त नियोजन की अवधि (अधिकतम 5 वर्षों) तक की शिथिलता दी जा सकेगी ।

(2) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प ज्ञापांक–2374, दिनांक–16.07.2007 के आलोक में सरकारी सेवकों को जो 03 (तीन) वर्षो की निरंतर सेवा पूर्ण कर चुके हों, उच्चतर वेतनमान की सेवा/संवर्ग में जाने के लिए अधिकतम आयु सीमा में 05 (पाँच) वर्षों की छूट अनुमान्य है । साथ ही, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प ज्ञापांक–62, दिनांक–05.01.2007 के आलोक में निःशक्तों को उक्त अधिकतम उम्र सीमा में 10 (दस) वर्षो की छूट अनुमान्य है ।

(3) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक–2447, दिनांक–06.03.1990 के आलोक में भूतपूर्व सैनिकों को उम्र सीमा में 03 (तीन) वर्ष तथा प्रतिरक्षा सेवा में बितायी गयी सेवा अवधि के योग के समतुल्य रियायत दी जायेगी वशर्ते कि उनकी वास्तविक उम्र आवेदन देने की तिथि को 53 (तिरेपन) वर्ष से अधिक नहीं हो ।

चयन की प्रक्रियाः–

1. अधियाचना के आलोक में आयोग रिक्तियों के विरूद्ध विज्ञापन द्वारा आवदेन आमंत्रित करेगा और लिखित परीक्षा तथा संविदा के आधार पर नियोजित होकर वाहन चलाने के कार्य अनुभव के आधार पर रिक्तियो के 2.5 (ढ़ाई) गुणा अभ्यर्थियों को, वाहन चालन एवं वाहन की सामान्य जानकारी, जाँच हेतु आमंत्रित करेगा । लिखित परीक्षा एवं संविदा के आधार पर नियुक्त वाहन चालक के कार्यानुभव के लिए अंको का अवधारण निम्नवत् होगाः–

   (क) लिखित परीक्षा में प्राप्त अंको के प्रतिशत के लिए –75 अंक

   (ख) बिहार सरकार के कार्यालयों में संविदा के आधार पर विधिवत

नियोजित वाहन चालक के वाहन चालन के कार्यानुभव के लिए —25 अंक

(प्रत्येक वर्ष के वाहन चालन अनुभव के लिए 05 (पाँच) अंक, अधिकतम 25 (पच्चीस अंक)

टिप्पणीः—अभ्यर्थी द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्तांक के लिए उक्त परीक्षा में प्राप्त कुल अंको का प्रतिशत 0.75 के गुणक से गुणा करके अवधारित किया जायेगा । यथा, यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा कुल 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किया गया हो तो उसे 50% x 0.75=37.5 अंक दिये जायेगें । अभ्यर्थी जिस कार्यालय में संविदा पर विधिवत नियोजित होकर कार्यरत रहा हो, उसके कार्यालय प्रधान के माध्यम से अग्रसारित आवेदन के आधार पर ही कार्यानुभव के लिए अंक देय होगा ।

2. उपरोक्त के आधार पर कुल रिक्तियों के 2.5 (ढाई) गुणा चयनित अभ्यर्थियों को वाहन चालन एवं वाहन की सामान्य जानकारी में सम्मिलित होना पड़ेगा जिसके लिए कुल प्राप्तांक 100 होगा । यह जाँच आयोग द्वारा गठित समिति द्वारा की जायेगी जिसमें मोटरयान निरीक्षक एक सदस्य होगा । जाँच परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर मेधा सूची तैयार की जायेगी और उसी सूची के आधार पर आयोग संबंधित विभाग/कार्यालय को अनुशंसा करेगा । उच्चतर शैक्षणिक योग्यता के लिए कोई अधिमान्यता नहीं दी जायेगी ।

लिखित परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम(सिलेबस) :—

अभ्यर्थियों से लिखित परीक्षा में मैट्रिक स्तरीय सामान्य ज्ञान एवं जानकारी विषय से 75 अंको के बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ट प्रश्न पूछे जायेंगे । प्रत्येक सही उत्तर के लिए एक (1) अंक दिया जायेगा एवं गलत उत्तर के लिए एक चौथाई(0.25) अंक काटे जायेंगे । लिखित परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम निम्नवत् है :—

1. मैट्रिक स्तरीय सामान्य बुद्धिमत्ता एवं तर्कशक्ति (General Intelligence & Reasoning)
2. मैट्रिक स्तरीय अंकीय अभियोग्यता (Numerical Aptitude)
3. मैट्रिक स्तरीय सामान्य सचेतता (General Awareness)
4. यातायात चिन्हो की पहचान से संबंधित प्रश्न ।

क्वालीफाइंग मार्क्सः—

अभ्यर्थी को कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा निर्गत संकल्प संख्या—2374, दिनांक—16.06.2007 के आलोक में लिखित परीक्षा में भी अलग से न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, जो निम्नांकित हैः—

सामान्य वर्ग	—	40 प्रतिशत
पिछड़ा वर्ग	—	36.5 प्रतिशत
अ0पि0वर्ग	—	34 प्रतिशत
अनु0जाति/जनजाति	—	32 प्रतिशत
महिला वर्ग	—	32 प्रतिशत

परीक्षा शुल्कः—

(क) सामान्य /पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी—750 रूपये ।

(ख) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (सिर्फ बिहार के स्थायी निवासी के लिए)—200 रूपये ।

(ग) बिहार राज्य के बाहर के सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु —750 रूपये ।

परीक्षा शुल्क जमा करते समय परीक्षा शुल्क की राशि पर प्रक्रिया शुल्क (Processing Charge) एवं सेवा कर (Service Tax) अभ्यर्थी द्वारा अलग से देय होगा । यथा ऑनलाइन (Credit Card / Debit Card / Netbanking) माध्यम से रूपये 750 की परीक्षा शुल्क पर रूपये 25.88 अतिरिक्त प्रोसेसिंग चार्ज एवं सेवा कर सहित अभ्यर्थी द्वारा